ISSN2393-8838

Date of Publishing 19th July Vol. No.30 Issue No.7

JULY 2019

Rs.10/-

मासिक

इसलाहे समाज

समाज सुधारक पत्रिका

इस्लाम ने खुशी मनाने के लिये कुछ अवसर, शिष्टाचार, सिद्धांत एवं नियम तय किये हैं हमें इनकी पैरवी करते हुए खुशी और त्यौहार मनाना चाहिए ताकि हर्षोउल्लास, इबादतों का लुत्फ और उसका फल मिलता रहे और जिससे अल्लाह एवं उसके बन्दों के अधिकार, उनकी रिज़ामन्दी और खुशी के अवसर उपलबध हों। अल्लाह की इबादत, इन्सानों के बीच अम्न व इतमीनान और भाईचारा को बढ़ावा मिले।

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी

1

हज की अहमियत व फज़ीलत

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत अबू हुरैरह रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमको संबोधित करते हुए कहा कि ऐ लोगो! तुम पर अल्लाह ने हज फर्ज़ किया है इसलिये तुम हज करो। यह सुनकर एक आदमी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या हर साल हज फर्ज़ है?तो आप खामूश रहे यहां तक कि उसने यही सवाल तीन बार दोहराया फिर आपने फरमाया अगर मैं हां कह देता तो हर साल हज वाजिब हो जाता और तुम हर साल हज करने की ताक़त नहीं रखते। (सहीह मुस्मिल, अहमद, नेसई)

हज इस्लाम के पाच स्तंभों में से एक है। रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर काइम है। इनमें से एक बैतुल्लाह का हज है। अल्लाह ने कुरआन में फरमाया ''अल्लाह ने उन लोगों पर जो उस की तरफ राह पा सकते हों इस घर का हज फर्ज़ करार दिया है''।

अगर कोई हज करने का सामर्थ रखता है और हज की शर्तों पर पूरा उतरा रहा हो तो ऐसे शख्स के लिये सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है बल्कि हज करना लाज़िम (अनिवार्य) हो जाएगा और उसे हज करना होगा जिसको अल्लाह ने जीवन भर में हर ताकत रखने वाले पर फर्ज़ क़रार दिया है। हज के फर्ज हो जाने की पांच बुनियादी शर्तें हैं, इस्लाम, आक़िल, बालिग और आज़ाद होने के साथ साथ सामर्थ रखना यानी माली और जिस्मानी एतबार से सफर के काबिल होना और रास्ते का शान्तिपूर्ण होना है। अगर कोई जिस्मानी एतबार से हज पर जाने के क़ाबिल न हो तो ऐसी सूरत में हज्जे बदल के लिये ऐसे शख्स को भेज सकता है जिसने पहले से हज अदा किया हो।

औरत के लिये एक शर्त यह भी है कि उसके साथ महरम (जिसके साथ औरत की शादी नहीं हो सकती) हो। इन तमाम शर्तों के पाये जाने के बाद कोई भी शख़्स किसी भी तरह की लापरवाही न करे क्योंकि मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हज करने का एरादा रखता हो उसे चाहिए कि वह जल्दी हज करे क्योंकि हो सकता है कि वह बीमार पड़ जाए या माल में कमी आ जाए या उसे कोई ज़रूरत पेश आ जाए। (मुस्नद अहमद, अबू दाऊद)

हज की बड़ी अहमियत व फज़ीलत है और हज का बदला जन्नत क़रार दिया गया है। पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर का बदला जन्नत है क्यों कि इन्सान हज करने के बाद गुनाहों से पाक (पवित्र) हो जाता है और इस तरह हो जाता है गोया कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। पग़ेम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''जिसने हज किया और इस दौरान बेहूदा बातों और अल्लाह की नाफरमानी से बचता रहा तो वह इस तरह वापस लौटे गा (गुनाहों से पाक व साफ होकर) जैसे उसकी मां ने उसको उसी दिन जनम दिया।

एक हदीस में है कि हज़रत अम्र बिन आस ने पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से गुज़ारिश की कि आप अपना हाथ बढ़ाइये मैं बैअत करना चाहता हूँ आपने अपना हाथ बढ़ाया तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया जब नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हाथ खींचने का सबब मालूम किया तो अम्र बिन आस ने कहा कि मैं एक शर्त पर बैअत करना चाहता हूं, वह शर्त यह है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को मआफ कर दे। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम पिछले गुनाहों को मआफ कर देता है, हिजरत पिछले गुनाहों को मआफ कर देता है और हज पिछली ख़ताओं को ख़तम कर देता है। रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उमरा करने से ग़रीबी और गुनाह खतम हो जाते हैं जिस तरह भटठी लोहे के मोर्चे को ख़तम कर देती है। अल्लाह हम लोगों को हज करने की क्षमता दे और हज को हज मबरूर व मक़बूल बनाये।

इसलाहे समाज
जुलाई 2019 2

मासिक

इसलाहे समाज

जुलाई 2019 वर्ष 30 अंक 7

ज़ीकअ़दह 1440 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

एहसानुल् हक़्क़

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये
- टोटल पेज 28

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से भारत आफसेट 2035 क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: एहसानुल् हक़्क़

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	हज उमरा की फ़ज़ीलत	2
2.	हत्या महा पाप है	4
3.	क्या पानी का संकट स्थाई है?	6
4.	कोताही नहीं करनी चाहिए	8
5.	देश व समाज में अम्न व शान्ति ...	10
6.	शिक्षा की अहमियत	15
7.	क़ुर्बानी के अहकाम व मसाइल	16
8.	अनाथ	20
9.	जमाअती ख़बर	23
10.	देश व समाज में अम्न व शान्ति	24
11.	पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया	26
12.	मौलाना मुहम्मद इसराईल नदवी का इंतेकाल	26
13.	हमारे प्यारे वतन	27
14.	विज्ञापन	28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

हत्या महा पाप है

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी

कुछ लोगों को छोड़ कर पूरी इंसानियत हर युग में दीन धर्म और मिल्लत व मजहब पर ईमान व यकीन रखती है और उसकी पैरवी को दुनिया और महाप्रलय (आखिरत) में कामयाबी, सुकून अम्न व शान्ति, भाईचारा, मुहब्बत आपसी मेलजोल, सौहार्द और हमदर्दी की गारंटी मानती है। इसी लिये इस तरह के लोग अपनी इच्छाओं को दीन के अधीन मान कर दीनी तालीमात (धार्मिक शिक्षाओं) पर अमल करते हैं।

इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अल्लाह की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारें और उसकी शिक्षाओं की रोशनी में अपने काम करें। रोजाना पेश आने वाली समस्याओं और हालात में ओलमा से कुरआन व हदीस की रोशनी में मसाइल को पूछें और शरीअत की राय मालूम करें मुफ्तियों और इस्लामी मामलों के माहिरीन से सवाल और फतवा के जरिये अपने हालात को सुधारें। इस वक्त मानवता और हमारा देश भारत कई तरह से आतंकवाद की लानत में गिरफ्तार होता जा रहा है जो निःसंदेह मुटठी भर असमाजिक तत्वों और देश दुश्मन शक्तियों की निन्दित हरकत है, यहां की अधिकतर आबादी पूरी दुनिया में विशेष तौर से भारत में इस तरह के किसी भी फसाद बिगाड़ और आतंक को पसंद नहीं करती, लेकिन फसाद उपद्रव और आतंकवाद हर हाल में नासूर है। लेकिन कुछ नादान या साजिशी लोग इसे अपने स्वार्थ या अपने ख्याल में सुधार और बुराई को बदलने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और नौजवानों और अपने जैसे जोशीले नादानों को धरती पर उपद्रव फैलाने में संलिप्त करते हैं यहां तक कि वह अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं जबकि इस्लाम में जहां दूसरों पर अत्याचार करना दूसरों को मारना हराम और महा पाप है वहीं आत्महत्या करना भी बहुत बड़ा अपराध है यह ऐसे लोग हैं जिनकी आखिरत तो बर्बाद ही है, दुनिया भी बर्बाद है लेकिन अफसोस है वह इसे अपना कारनामा (उपलब्धि) समझते हैं।

इन ही हालात को सामने रखते हुये मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द ने इस बड़े अपराध के सिलसिले में अपना एक सामूहिक फतवा १८ मार्च २००६ के सेमिनार में जारी किया जिस का शीर्षक ''आतंकवाद वक्त का सबसे बड़ा नासूर ''था, अरब के महान एवं प्रतिष्ठित अहले हदीस ओलमा ने आतंकवाद, बम धमाकों, आत्मघाती हमलों, जहाजों का अपहरण, प्रतिष्ठानों, इमारतों सरकारी और प्राइवेट सम्पदाओं को बर्बाद करने को अपने अनेक फतवों में हराम और महा पाप करार दिया है। इन फतवों और मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा आतंकवाद और दाइश के ख़िलाफ़ सामूहिक फतवों को पुस्तिका के रूप में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द प्रकाशित कर चुकी है।

जैसा कि कहा गया कि इन सब ओलमा ने यह फतवा दिया है कि आतंकवाद, बम धमाके आदि इस्लाम और शुद्धबुद्धि की रोशनी में किसी भी तरह जायज नहीं हो सकते बल्कि सरासर हराम नाजायज और जुल्म व ज्यादती है और जमीन में उपद्रव की सजा बुहत सख़्त है।

इस्लाम में एक छोटे से जानवर को भी मारना जायज नहीं है तो दुनिया की सबसे सम्माननीय सृष्टि इंसान को मारना क्यों जायज हो गा? इस्लाम में अम्न व शान्ति को इंसानी समाज के लिये बहुत बुनियादी तत्व और नेमत माना गया है, जिस का कोई किकल्प (बदल) नहीं हो सकता, इसको खराब करने अशान्ति और आतंक में परिवर्तित करना बुरा अपराध है और यह स्पष्ट है कि भय और आतंक की छांव में दुनिया की कोई नेमत, नेमत नहीं कही जा सकती।

यह इस्लाम ही की तालीम है जो कुरआन में बयान किया गया है कि जानी दुश्मन और जिन से लड़ाई जरूरी है अगर वह भी पनाह मांगता है या समझौते के साथ रहता है तो जंग की हालत में उस को पनाह दे कर उसको महफूज (सुरक्षित) स्थान पर पहुंचाना आवश्यक है। जिस इस्लाम ने जंग की हालत में जबकि जालिम ने आपके बीवी बच्चे और बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया हो उसका बच्चा बीवी और कोई भी निर्दोष जो आप से न लड़ रहा हो बदले में कत्ल करने से मना कर दिया है क्योंकि जालिम और कातिल तो उसका बाप है न कि निर्दोष। अगर आप जोश और गुस्से में अपने बच्चों का बदला ले रहे हैं तो गोया आप भी वही जुल्म बेगुनाहों और निर्दोषों पर कर रहे हैं जो आप से लड़ने वाले दुश्मन ने किया है। क्योंकि कि कुर्आन ने इससे मना किया है कि किसी अपराधी के करतूत की सज़ा किसी बेगुनाह और निर्दोष को दिया जाये। कुरआन कहता है। ''कोई किसी का बोझ नहीं उठायेगा''।

जब इस्लामी तालीमात में इस तरह के हुक्म हैं तो भला निर्दोष नागरिक, जो राह चल रहा है, विद्यालयों में हो, बाज़ार में अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं में व्यस्त हों, खुशी और त्यौहार के सामान खरीद रहे हों, उन पर किसी तरह के सामूहिक व्यक्तगत घातक हमले करना और खुशी को डर और शान्ति को आतंक में बदलना क्यों कर जायज हो सकता है।

मतलब यह है कि इस्लाम में इस तरह के बेतुके इंतेकाम को हराम क़रार दिया गया है खुद जालिम से भी इंतेकाम न लेकर मआफ कर देने की तरगीब (प्रेरणा) दी गयी है। कुरआन कहता है ''अगर तुम छमा कर दो तो यह तक़्वा से ज्यादा करीब है'' कवि भी कहता है।

अर्थः''मआफ करने में जो मज़ा है वह बदला लेने में नहीं है।''

फतावे से स्पष्ट है कि दुनिया की सजा बहुत दर्दनाक है मगर महापरलय की सजा जो इंसान की असली जिंदगी है इससे भी ज्यादा भयानक और कड़ी है।

इस्लाम धर्म की शिक्षा यह है कि किसी की जान बचाना, भलाई करना, और परेशान हाल को राहत व सुख पहुंचाना मानवता की असल तरक्क़ी है, इन्सान के लिये यह पुरस्कार दुनिया व आखिरत में तय है। इसके विपरीत अत्याचार, ज्यादती अमानवीय कर्म है ऐसे अमानवीय कामों से बचना चाहिए और हर इन्सान को अम्न व शान्ति का दूत और इन्सानियत का रखवाला बनना चाहिए। यही है इबादत यही दीन व ईमां, कि काम आए दुनिया में इन्सां के इन्साँ।

❑ ❑ ❑

क्या पानी का संकट स्थाई है

असअद आज़मी

पानी का जिन्दगी से या जिन्दगी का पानी से कितना गहरा संबन्ध है शायद अब इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं रही। पानी के बारे में जनम लेने वाला संकट सख्त से सख्त होता जा रहा है मगर इसकी तरफ साधारण और असाधारण को जिस गंभीरता और फिक्रमन्दी से ध्यान देने की ज़रूरत है वह नज़र नहीं आती। कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ जागरूकता अभियान चला रहे हैं लेकिन पूरी आबादी के मुक़ाबले में इनका अनुपात कुछ भी नहीं और इनके प्रयासों का परिणाम उत्साहवर्धक नहीं है। फिर भी प्रयास जारी रखने के सिवा चारा नहीं क्योंकि इस तअल्लुक से आगे जो हालात पेश आ सकते हैं उनकी महज़ कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस सिलसिले के कुछ सवालात हैं जिनके जवाब तय करने से व्यवहारिक क़दम उठाने की राह आसान होगी।

इस लेख में केवल एक सवाल पर गौर करने के लिये आमांत्रित किया जा रहा है वह यह है कि क्या पानी (जल) का यह संकट स्थाई है? क्या हम यह समझ रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून की कड़ी गर्मी इस संकट का कारण है? और यह कि जुलाई आते ही या बारिश शुरू होते ही सब कुछ सहीह हो जाएगा और पहले की तरह बेहिसाब पानी बहाने के लिये उपलब्ध हो गा? इसमें कोई शक नहीं कि बारिश होने से राहत ज़रूर मिले गी, मसले की संगीनी में कमी आएगी, जमीन के नीचे पानी की सतह (स्तर) कुछ ऊपर उठेगी, बाज मशीनें जो कुछ अर्से पहले फेल हो चुकी थीं कुछ अर्से के बाद फिर ज़मीन के पेट से पानी निकालना शुरू कर देंगी, सब कुछ सही लेकिन पानी के संकट पर क़ाबू पाने के लिये ठोस उपाय होना चाहिए, इस विषय पर लगातार काम करने की ज़रूरत है ज़मीन के नीचे चिंता जनक हद तक पानी कम हो चुका है। डेढ़ दो महीने की बारिश बारह महीने का पानी उपलब्ध करा दे ऐसा भी जाहिरी तौर पर नज़र नहीं आता इसलिये हर शहरी और हर क्षेत्र में सरकारी, अर्ध सरकारी और अवामी कमेटियों का गठन करके काम करने की ज़रूरत है।

सबसे अहम काम जिसका कोई विकल्प नहीं वह बचे हुए पानी को बर्बादी से बचाने का है। हमारे घरों, स्कूलों और दूसरी जगहों पर जहां भी पानी स्तेमाल होता है या बर्बाद होता है उस पर रोक लगाने की फौरी ज़रूरत है। पहले ज़मीन से पानी निकालने वाली मशीनों का चलन नहीं था हैण्ड पाइप और कुवों से पानी भर कर स्तेमाल किया जाता था तो पानी बहुत कम खर्च होता था। मई जून सहित साल भर कभी हैण्ड पाइप के पानी न देने या कुवों के सूख जाने की शिकायत नहीं मिलती थी। अब मशीनों से बगैर मेहनत के पानी निकाल कर छोटे बड़े टैंकों में जमा कर लिया जाता है फिर टोंटियों से नहाना धोना हर काम करना होता है जिसमें ज्यादा तर लोग बेतहाशा (अंधाधुंध) पानी

बहाते हैं। स्पष्ट रहे कि ज़मीन के नीचे भी पानी एक सीमित मात्रा ही में रखा गया है इसका असीमित ख़र्च इसे वक़्त से पहले खत्म कर देगा। गौर कीजिये हैण्डपाइप फेल हुए, छोटी मशीनें फेल हुईं, फिर बड़ी मशीनें फिर इससे बड़ी मशीनें, कुवें सूख गए छोटे बड़े तालाब अपना वजूद खो चुके यहां तक कि शहरों और देहातों को सैराब करने वाली छोटी बड़ी नदियाँ या तो नालों का रूप धारण कर चुकी हैं या दलदल और कीचड़ में तबदील हो चुकी हैं क्या यह सब महज़ इत्तेफाक है? नहीं, जमीन के नीचे पानी के स्तर में निरन्तर कमी जिस को हम शायद अपने सर की आखों से नहीं देख रहे हैं इस कमी को दिखाने के लिये एक वारनिंग की शकल में हमारे सामने कर दिया गया है।

माहिरीन का कहना है कि हम अगली पीढ़ियों का पानी पी रहे हैं (या बर्बाद कर रहे हैं) यानी हमारे हिस्से का जितना पानी रखा गया था वह कब का हम स्तेमाल कर चुके हैं अब हम अपेन बेटों, पोतों पड़पोतों के हिस्सों का पानी पी रहे हैं। गौर करें इन्सान अपने बाल बच्चों के भविष्य (मुस्तक़बिल) को लेकर कितना फिक्रमन्द (चिंतित) रहता है उनके लिये आवास, रोज़गार और जिन्दगी की दूसरी ज़रूरियात को उपलब्ध कराना उसकी वरियताओं में शामिल होता है मगर क्या उसके ज़ेहन में यह बात भी आती है कि हमारी आने वाली नस्ल पानी कहां से पिएगी? इसके लिये रूपया पैसा और ज़मीन जायदाद की तरह पानी बचाने और जमा करके रखने का भी कोई पलान है। या नहीं? इसे तो यह चिंता ज़रूर सताती रहती है कि हमारे बाद हमारी औलाद भुखमरी, और भूख का शिकार न हो और दो वक़्त की रोटी को न तरस जाये, लेकिन दो घूंट पानी के बग़ैर यही औलाद जिन्दगी की बाज़ी न हार जाए क्या कभी इसकी भी चिंता की?

दुनिया के सामने पानी की समस्या काफी संगीन हो चुकी है, खतरनाक वक़्त आने से पहले हमें चाहिए कि बड़े स्तर पर पानी के संरक्षण के लिये क़दम उठाएं। इसके लिये फौरी तौर पर निम्न तरीकों से काम किया जा सकता है।

नर्सरी से लेकर ऊंची क्लासों तक की तमाम पाठशालाओं में पानी के बारे में जागरूकता अभियान चलाएँ। इन पाठशालाओं या स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विभिन्न संसाधनों और तरीकों से पानी की अहमियत और इसकी बचत के तरीकेां से अवगत कराएं, इस सिलसिले में बच्चों से राय मांगें, और लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता का आयोजन करें, लेक्चर्स दिलवाएं, क्षात्रों को किसी एलाक़े में सर्वे के लिये भेजें कि इस एलाके में पानी किस किस तरीक़े से बर्बाद हो रहा है और इसे रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं।

मीडिया का रोल इस बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा मीडिया अगर इस विषय पर पूरी गंभीरता के साथ विशेष ध्यान दे और सुनियोजित ढंग से इस पर निरन्त काम करे तो यकीनन अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। इस सिलसिले में प्रिन्ट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हर एक का रोल अपनी जगह अहम है। सोशल मीडिया का रोल भी बहुत प्रभावी हो सकता है हमारे पत्रकार और मीडिया कार्यकर्ता इस मामले में स्वैच्छिक सेवाएं पेश करें और अपने लेख, रिपोर्ट और फीचर्स से साधारण और असाधारण को पानी के संरक्षण की ज़रूरत और उसके उपाय से अवगत कराएं तो अल्लाह के हुक्म से बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है।

❑ ❑ ❑

कोताही नहीं करनी चाहिए

नौशाद अहमद

अल्लाह से रिश्ता बनाए रखना इन्सान के सुखी और कामयाब होने के लिये ज़रूरी है। दुनियावी ज़िन्दगी की मसरूफियात ने इन्सान को अपने धर्मिक कर्मों और कर्तव्यों के निवर्हन से दूर कर दिया है जबकि बन्दों को पैदा करने का मकसद ही यही है कि वह अपने पालनहार से जुड़ा रहे, उसकी इबादत करे। कुरआन ने इन्सान को वजूद में लाने का मकसद बयान करते हुए फरमायाः

''मैंने जिन्नात और इन्सानों को महज़ इसलिये पैदा किया कि वह सिर्फ मेरी इबादत करें'' (सूरे ज़ारियात-५६)

कुरआन की इस आयत में अल्लाह ने इन्सान व जिन्नात को उस का मक़सद याद दिलाया है, अगर उसने अपने मकसद को भुला दिया तो आखिरत (मरने के बाद वाले जीवन) में इस बारे में सख्त पूछा ताछ होगी।

जिम्मेदारी को याद दिलाने का मकसद और हिकमत यह है कि अल्लाह अपने बन्दों का भला चाहता है कि वह अपने पालनहार की फरमांबरदारी और अज्ञापालन करके कामयाब हो जाए।

दुनिया की ज़िन्दगी में भी स्वामी अपने सेवक से भी यही चाहता है कि हमने अपने सेवक को जो जिम्मेदारी दी है उसको भली भांति निभाए, देखा जाता है कि जो अपनी जिम्मेदारी और दायित्व को निभाता है तो वह अपने स्वामी की नज़र में प्रिय माना जाता है इस के विपरीत जो लोग अपनी जिम्मेदारी और दायित्व को निभाने में गफलत और कोताही करते हैं उनसे स्वामी की तरफ से पूछ गछ होती है, काम के बारे में सवाल जवाब होता है।

लेकिन दुनिया और आखिरत की जिन्दगी और जिम्मेदारी में फर्क यह है कि जो बन्दा आखिरत को कामयाब बनाने के लिये या आखिरत में सफल होने के लिये अपने पालन हार के नियमों का पालन करता है, उसके बताए गये निर्देशों के अनुसार उसकी बन्दगी और इबादत करता है तो वह हमेशा के लिये कामयाब माना जाता है और असल कामयाबी यही है कि इन्सान अपने कर्मों के आधार वह मक़ाम हासिल कर ले जो एक जिम्मेदार इन्सान को उम्मीद होती है अर्थात जन्नत में जाने की आशा।

दुनियावी जिन्दगी में, दुनियावी कामों में कोताही वक़्ती नाकामी है असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। इसलिये हर इन्सान को स्थाई कामयाबी पाने के लिये अपने पालनहार से मज़बूत रिश्ता काइम करना चाहिए, यही इन्सान के जीवन का असल मक़सद है जिसकी प्राप्ति के लिये इन्सान को किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए क्योंकि इबादत और अल्लाह से तअल्लुक का फायदा इन्सान को मिलेगा इससे इन्सान की आखिरत बन जायेगी और इन्सान के दुनिया में आने का मक़सद पूरा हो जाएगा।

अफसोस है कि आज का इंसान अपने असल मक़सद से भटक कर व्यर्थ कामों में लग गया है, इबादत जो इन्सान की असल कामयाबी की सीढ़ी है इससे दूर हो होता जा रहा है।

इस्लाम का प्रतिनिधुत्व

संसार की अधिकांश आबादी ध र्म के सिद्धांतों पर विश्वास करती है और अपने धर्म के पालन को अपनी मुक्ति का माध्यम समझती है यही वजह है कि हर इन्सान का अपने धर्म से एक हार्दिक लगाव होता है।

इस्लाम की शिक्षाओं को लगभग ५ लाख लोगों ने बयान किया है और इन पांच लाखा लोगों का बायोडाटा रिकार्ड पर है अर्थात इनमें से जितने लोगों ने हदीस (हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के कथनों और कर्मों) को बयान किया है उनकी पूरी तारीख मौजूद है।

इस्लाम ने अपने अनुयाइयों को एक अल्लाह की इबादत करने और केवल कुरआन व हदीस की शिक्षाओं पर अमल करने का हुक्म दिया है और यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कर्म उसी का मकबूल हो गा जिसका कर्म हज़रत मुहम्मद सल्ल० के बताये गये कर्मों और कुरआन के सिद्धांतों के अनुसार होगा किसी भी इन्सान को इस बात का अधिकार नहीं है कि इन शिक्षाओं में कोई नया आदेश शामिल करे।

आज इबादत के नाम पर हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो गयी हैं जो इस्लाम की सहीह छवि पेश करने के बजाये इस्लाम की छवि को खराब कर रही हैं। इस्लाम के नाम पर मन गढ़त काम इस्लाम का प्रतिनिधुत्व नहीं करते।

यह रिसर्च का ज़माना है आप थोड़ी से मेहनत से यह जान सकते हैं कि इस्लाम की असली शिक्षा क्या है। दुर्भाग्यवश आज हमारी तरफ से कुछ ऐसे कर्म किये जा रहे हैं जिनको देख कर अन्य धर्मों के लोग यह समझ रहे हैं कि यह सब कर्म भी इस्लाम की शिक्षाओं का भाग हैं, इसलिये हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिये जिससे हमारी और इस्लाम की छवि धूमिल हो और हर उस मन गढ़त कर्म से बचना चाहिये जो अन्य लोगों की परेशानी का कारण बनता हो।

हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उसमान, हज़रत अली और एक लाख से अधिक सहाब-ए-किराम रजिअल्लाहो अन्हुम ने हमेशा अपने कर्म की बुनियाद कुरआन व हदीस को बनाया, इसी प्रकार इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम इब्ने माजा, इमाम अबू दाऊद, इमाम शौकानी, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम इब्ने तैमिया, अल्लामा इब्ने कैइम और अन्य इमाममों (रहमतुल्लाही अलैहिम) ने भी इसी पर अमल किया इससे साबित होता है कि हम सभी को इन सब कामों से बचना चाहिये जो इस्लाम की तालीमात का हिस्सा नहीं हैं और इस्लाम की सहीह नुमाइन्दगी (प्रतिनिधुत्व) करने की कोशिश करनी चाहिये। और ऐसे लोगों को भी इस्लाम के बारे में गलत व्याख्या करने से बचना चाहिए जो जानकारी न होने की वजह से इस्लाम व मुसलमानों के बारे में ऐसी बात कह देते हैं जिनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं होता। जो झूठ फरेब, मनगढ़त और फर्जी बातों पर आधारित होती है। ऐसा करना सरासर पाप है। इससे हम सभी लोगों को बचना चाहिए।

❑ ❑ ❑

देश व समाज में अम्न व शान्ति की बुनियादें इस्लाम की शिक्षाओं की रोशनी में

❑ **कलीमुल्लाह सलफी**

इस्लाम धर्म से अम्न व शान्ति का वही संबन्ध है जो सूरज से रोशनी का है। अम्न व सुरक्षा और सुख शान्ति इस्लाम की फ़ितरत में शामिल है इसकी शान्ति-व्यवस्था हर तरह की ख़ामियों से पवित्र और हर तरह की कमियों से सुरक्षित है इस लिये व्यक्ति से खानदान और समाज से देश और विश्व समुदाय के लिये इसी में राहत व सुकून है।

इस्लाम अपने अनुयाइयों को उपदेश देता है कि अगर किसी मामले में जाहिलों (उजड) लोगों से पाला पड़ जाये तो उलझने के बजाए उनसे अम्न व शान्ति के तलबगार बन कर अलग हो जायें ''व इज़ा ख़ातबाहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा'' (सूरे फुरकान-६३)

इस्लाम सरासर अम्न व शान्ति का नाम है और यह अम्न व शान्ति केवल व्यक्तगत और समाजी स्तर पर नहीं बल्कि विश्व स्तर पर स्थापित करना चाहता है ताकि हर जानदार इससे लभान्वित हो सके।

इस्लाम इन्सान के ज़मीर और उसके परिवारिक जीवन में अम्न व सुख स्थापित करने के बाद समाजी, राष्ट्रीय और राष्ट्रस्तर पर अम्न व शान्ति को स्थापित करने की तरफ ध्यान देता है। इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार समाज में पाये जाने वाले तमाम तबकों और गुटों के बीच आपसी सहयोग दया करूणा, प्रेम और अम्न व सलामती का तअल्लुक पाया जाता है। इस तअल्लुक की बुनियाद अधिकार और कर्तव्यों के एक संतुलित विचार पर स्थापित है जिस से अल्लाह की खुशी की प्राप्ति होती है। संतुलन के इस स्तर पर पहुंच कर समाज के लोगों के आपसी झगड़ों के कारण, निवारण और अम्न व शान्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं परिणाम स्वरूप समाजी ज़िन्दगी की गाड़ी अम्न व शान्ति के साथ अपनी मंज़िल की तरफ रवां दवां रहती है।

देश व समाज में अम्न व शान्ति जिन बुनियादों पर पायी जा सकती है इनमें एकेश्वरवाद (तौहीद) के बाद सबसे पहली चीज़ इन्सानी एकता और प्रेमभाव है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः लोगो! हमने तुम को एक मर्द व औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और बिरादरियां बना दीं ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो''। सूरे हुजुरात-१३

इसी तरह पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने आपसी भाई चारे की राह में रूकावट बनने वाले कारणों से दूर रहने का उपदेश देते हुए आदेश दिया कि एक दूसरे से हसद जलन और दुश्मनी न करो न एक दूसरे से पीठ फेरो, अल्लाह के बन्दो भाई भाई बन जाओ। (सहीह मुस्लिम ६५२६)

आपसी प्रेम भाव की प्रेरणा दिलाते हुए आपने फरमायाः तुम धरती वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा (तिर्मिज़ी, १६२४, अल्लामा अल्बानी ने इस हदीस को सहीह क़रार दिया है)

कहने का मतलब यह है कि

इस्लाम ने ईमानी जजबे को इस तरह से उभारा है कि भाई चारे का यह जज्बा तमाम इन्सानों के अन्दर पैदा हो जाए और हर प्रकार के नसली, क़ौमी और घमण्ड के नतीजे में पैदा होने वाले झगड़े स्वंय ख़तम हो जाएं और समाज अम्न व शान्ति का स्थल बन जाए।

इस्लाम समाज के लोगों के दिलों में भाई चारा की भावना विकसित करने के बाद उसे समाजी शिष्टाचार की शिक्षा देता है जिससे समाजी अम्न व सुरक्षा में और ज़्यादा मज़बूती और निखार पैदा हो और लोगों के दिलों में कहीं से भी हसद जलन दुश्मनी घमण्ड जैसी बुरी आदतें न रह सकें जिससे कभी कभार समाज का अम्न व सुकून ख़तम हो जाता है इसलिए इस्लाम ने हसद जलन घमण्ड और दुश्मनी की कड़ी निन्दा की है।

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया ''और ज़मीन में अकड़ कर मत चलो न तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और न पहाड़ों की बुलन्दी को पहुंच सकते हो''। (बनी इस्राईल-३७)

कुरआन में दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया ''और लोगों से बेरूख़ी न कर और ज़मीन में अकड़ कर न चल, अल्लाह किसी अकड़ने वाले और घमण्ड करने वाले को पसन्द नहीं करता और अपनी चाल में मध यमार्ग (संतुलन) अपनाओ और अपनी आवाज को पस्त रखो''। (सूरे लुक़मान १८-१६)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे वह्य (प्रकाशना) किया कि तुम नम्रता को अपनाओ, यहाँ तक कि कोई दूसरे पर ज़्यादती न करे और किसी पर बड़ाई न जताए (सहीह मुस्लिम)

इस्लाम दूसरों के जज़बात को ठेस पहुंचाने और किसी की इज्ज़त व सम्मान से खेलने को हराम करार देता है और ऐसे तमाम असबाब और कारकों पर पाबन्दी लगाता है जिससे किसी की इज़्ज़त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हों। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''ऐ ईमान वालो! एक मर्द दूसरे मर्द का मज़ाक़ न नड़ाए हो सकता है वह उनसे बेहतर हों, न औरतें दूसरी औरतों का मज़ाक़ उड़ाएं हो सकता है कि वह इनसे बेहतर हों। आपस में एक दूसरे पर तअ्न (लांछन) न करो और एक दूसरे को बुरे अलक़ाब (उपाधि) से न याद करो ऐ ईमान वालो! बहुत गुमान करने से परहेज़ करो बाज़ गुमान गुनाह हैं तजस्सुस (टोह) न करो और तुम में से कोई किसी की ग़ीबत न करे क्या तुम्हारे अन्दर कोई ऐसा है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसन्द करे'' (सूरे हुजुरात -११-१२)

इस्लाम बुराई का बदला भलाई से देने की शिक्षा देता है और कहता हे कि इस तरह दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। कुरआन कहता है

''तुम बुराई को उस नेकी से दूर करो जो बेहतर हो तुम देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे''। (सूरे-सजदा-३४)

इस्लाम सब्र व संयम की शिक्षा देते हुए गुस्से के वक़्त स्वयं पर कन्ट्रोल करने का उपदेश देता है क्योंकि इससे अम्न व शान्ति का वातावरण पैदा होगा। कुरआन ने सब्र और धैर्य रखने वालों की प्रशंसा की है। कुरआन सब्र और धीरज रखने वालों के बारे में कहता है कि अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वह दरगुज़र कर जाते हैं'' (सूरे शूरा-३७)

❑ ❑ ❑

हज और उमरा कैसे करें?

शैख मुहम्मद सालेह
अल उसैमीन रह०

हज और उमरा करने का सबसे बेहतर तरीक़ा वह है जो नबी स०अ०व० से मनकूल (बयान) किया गया है ताकि हज और उमरा करने वाला अल्लाह की मुहब्बत और उसकी मग़फिरत को पा ले। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है :

''ऐ नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत करते हो तो मेरी इत्तेबा करो खुद अल्लाह तआला तुम से मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख़्श देगा'' (सूरे आल इमरान-३१)

(१) जब आप उमरा के लिये एहराम का इरादा करें तो गुस्ल (स्नान) करें जिस तरह नापाकी का स्नान करते हैं। फिर एहराम के कपड़े लुंगी और चादर पहनें। औरतें ज़ीनत व सिंगार के अलावा जो कपड़े चाहें पहनें फिर यह दुआ पढ़ें।

''लब्बैक उमरतन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेअ्मता लका वल मुलका ला शरीका लका'' यानी ऐ अल्लाह! उमरा के लिये हाज़िर हूं, ऐ अल्लाह हाज़िर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे पास हाज़िर हूं बेशक तारीफ, नेमत और मुल्क (बादशाहत) तेरी ही है और तेरा कोई शरीक नहीं लब्बैक का अर्थ है कि ऐ अल्लाह! हज और उमरा में से जिस चीज़ की तूने दावत दी है मैंने कुबूल किया।

(२) मीक़ात से एहराम बांध कर जब आप मक्का पहुचें तो उमरा के लिये खा-न-ए काबा का सात बार तवाफ करें, तवाफ को हजरे असवद से शुरू करें और वहीं ख़तम करें। फिर अगर आसानी हो तो मक़ामे इब्राहीम के पीछे क़रीब हो कर दो रकात नमाज़ पढ़ें वर्ना दूर ही पढ़ लें।

(३) नमाज़ पढ़ने के बाद सफा और मर्वा के दर्मियान सात बार सई करें यानी दौड़ लगाएं। सई की शुरूआत सफा से करें और मर्वा पर ख़तम करें।

(४) सई करने के बाद अपने सर के बाल कटवाएं अब आप का उमरा मुकम्मल हो गया अब अपने एहराम खोल दें।

हज

(१) हज को शुरू करने का तरीक़ा यह है कि आठवीं जिलहिज्जा की सुबह को मीक़ात से एहराम बांधें अगर संसाधन उपलब्ध हो गुस्ल कर लें और एहराम का लिबास (कपड़ा) पहन लें और कहें, लब्बैक हज्जतन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्मदा वन नेमता लका वल मुलको ला शरीका लक'' ऐ अल्लाह हज के लिये हाज़िर हू, हाज़िर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे पास हाज़िर हूं, बेशक तमाम तारीफ, नेमत और मुल्क (बादशाहत) तेरी ही है और तेरा कोई शरीक नहीं है''

(२) फिर मिना की तरफ लौटें और वहां जुहर, अस्र, मग़्रिब, इशा और फज्र की नमाज़ क़स्र के साथ पढें यानी चार रकात वाली नमाज़ को दो रकात पढ़ें।

(३) जब सूरज निकल जाए तो अर्फा की तरफ रवाना हो जाएं और जुहर अस्र की नमाज़ जमा तक़दीम के साथ दो-दो रकात पढ़ें और अर्फा में सूरज डूबने तक ठेहरे रहें और क़िबला का इस्तेक़बाल (किबले की तरफ चेहरा करके) ज्यादा से ज़्यादा दुआ में व्यस्त रहें।

(४) सूरज डूब जाए तो अर्फा

से मुज़दलफा की तरफ प्रस्थान करें और वहां मग़्रिब, इशा और फज्र की नमाज़ पढ़ें फिर ज़िक्र व अज़कार के लिये सूरज निकलने तक ठेहरे रहें। अगर कमज़ोर हैं, कंकरी मारते वक़्त लोगों की भीड़ की वजह से ताक़त नहीं रखते तो कोई हर्ज नहीं रात के आख़िरी हिस्से में मिना की तरफ चले जाएं ताकि लोगों की भीड़ से पहले शैतान को पहले कंकरी मारें।

(५) जब सूरज निकलने का वक़्त करीब हो जाए तो मुज़दलफ़ा से मिना की तरफ रवाना हो जाएं, और निम्न लिखित काम अंजाम दें।

क़-जमु-र-ए-अक़बा को यह जमुरा मकका से ज़्यादा क़रीब है, सात कंकरियां लगातार मारें और हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहो अकबर कहें।

ख. फिर कुर्बानी के जानवर को ज़बह करें, इसमें से खुद खाएं और फक़ीरों में तक़सीम करें हद्‌य (कुर्बानी का जानवर) हज्जे तमत्तोअ़ और हज्जे क़िरान करने वाले पर वाजिब है।

ग. अपने सर के बाल मूंडें या काटें लेकिन मूंडना अफजल है। और औरत एक पोर के बराबर बाल काटे। अगर आसानी हो तो यह तीनों काम ऊपर बताई गई तर्तीब के मुताबिक़ करें।

६. फिर मक्का जाएं और तवाफे इफाज़ा (हज का तवाफ) और सफा मर्वा की सई करें तवाफे इफ़ाज़ा के बाद आप पूरे तौर पर हलाल हो गए हैं और एहराम की हालत की तमाम चीज़ें आपके लिये हलाल हो गईं।

७. सई और तवाफ के बाद आप मिना की तरफ निकलें और वहां दस्वीं बारहवीं जिलहिज्जा की रात गुज़ारें।

८. फिर ग्यारहवीं और बारहवीं ज़िल हिज्जा को जवाल के बाद तीनों जमुरात को कंकरी मारें, पहले जमुरा से शुरू करें यह मक्का से सबसे ज़्यादा दूर है फिर उस्ता फिर जमु-र-ए अक़बा, हर एक को सात कंकरियां लगातार अल्लाहोअकबर कहते हुए मारें और जमु-र-ए-ऊला और जमु-र-ए उसता की रमी के बाद किबला की तरफ रूख़ करके अल्लाह से दुआ मांगें। इन दोनों में ज़वाल से पहले रमी (कंकर मारना) जायज़ नहीं है।

९. जब आप बारहवीं ज़िलहिज्जा को रमी मुकम्मल करें और अगर जलदी निकलना चाहें तो सूरज डूबने से पहले मिना निकल जाएं अगर चाहें तो ताखीर करें और यही अफ़ज़ल है (चुनान्चे ताखीर की सूरत में) तेरहवीं रात मिना में गुज़ारें और ज़वाल (सूरज ढलने) के बाद इस दिन भी जमुरात को वैसे ही कंकरी मारें जैसा कि बारहवीं ज़िल हिज्जा को मारे थे।

जब आप वापसी का इरादा कर लें तो तवाफ विद्अ करें लेकिन हैज़ और निफास वाली औरतों के लिये तवाफे विदाअ नहीं है।

हज और उमरा का एहराम बांधनें वालों के लिये ज़रूरी है कि वह निम्न बातों का ख्याल रखें।

१. अल्लाह ने जो दीनी बातें फर्ज़ की हैं उन पर लाज़िमी तौर पर अमल करें मिसाल के तौर पर नमाज़ की पाबन्दी।

२. जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया है उससे परहेज़ करें जैसा संभोग, फिस्क़ व फुजूर पाप और नाफरमानी से जैसा कि अल्लाह ने कुरआन में फरमाया हैः

''जिस किसी ने इन महीनों में हज करना अपने ऊपर लाज़िम कर लिाय तो वह बीवी से जिमअ़ (संभोग, शारीरिक संबन्ध) न करे और गुनाह की कोई बात करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे''। (सूरे बक़रा-१९७)

३. हज के स्थानों पर अपनी करनी और कथनी से किसी को नुक्सान न पहुँचाए।

४. एहराम की हालत में तमाम मना की गई बातों से परहेज़ करें। मिसाल के तौर पर

क. अपने नाखून और बाल न काटें

ख. एहराम बांधने के बाद अपने बदन और कपड़े में खुश्बू न लगाएं, न खुश्बू दार साबुन से पाकी हासिल करें लेकिन अगर एहराम बांधने के मौके पर इस्तेमाल किये गये खुश्बू का असर बाकी रहे तो कोई हर्ज़ नहीं

ग. खुश्की के हलाल जानवर का शिकार न करें।

ध. संभोग न करे न कोई ऐसी बात करें जिससे उत्तेजना पैदा हो।

ड. अपना या दूसरे का निकाह न करें और इसी तरह अपने या दूसरे के लिये शादी का पैगाम न दें।

च. दस्ताना न पहनें।

ऊपर बयान की गयीं बातें औरत मर्द दोनों के लिये आम हैं।

मर्द के लिये ख़ास अहकाम

क. अपने सर को टोपी से न छुपाएँ लेकिन छतरी, गाड़ी की छत, खेमा और पलासटिक से छाया प्राप्त करने में कोई हर्ज नहीं।

खः कमीस, अमामा, टोपी, शलवार और मोज़ा न पहनें लेकिन अगर तेहबन्द न मिले तो शलवार पहनें और जूते न हों तो मोज़े पहन लें।

ग. अबा, क़बा और ताक़िया (पगड़ी के बीच टोपी) वगैरह पहनना भी मना है। जूता, अंगूठी, चश्मा, टेली स्कोप दूरबीन, घड़ी थैला या बैग वगैरह का पहनना या लटकाना जायज़ है। गैर खुश्बूदार चीज़ों से पाकी हासिल करें और अपने सर और बदन में मल लें और अगर मलने के दौरान बाल टूट जाए तो कोई हर्ज नहीं। औरत नक़ाब (जिससे चेहरा को ढांका जाता है और आंख खुली होती है) न पहने और बुर्का का इस्तेमाल भी न करे और औरत के लिये सुन्नत यही है कि अपना चेहरा खुला रखे लेकिन महरम हज़रात के सामने हालते एहराम वगैरह में भी पर्दा वाजिब है। (जरीदा तर्जुमान १-१५ जुलाई २०१६)

पाठक गण ध्यान दें

१-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। २-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सुचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। ३-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। ४-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। ६- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। ७. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

शिक्षा की अहमियत

नौशाद अहमद

गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला दुबारा शुरू हो चुका है बच्चों को स्कूल भेजने में सबसे बड़ी कोताही यह देखी जा रही है कि मामूली मामूली सबब की बुनियाद पर बच्चों को छुटटी करवा दी जाती है यह शिक्षा के तईं हमारी गफलत को दर्शाता है। इस लापरवाही का अंजाम यह होता है कि ऐसे बच्चे या तो नम्बर कम लाते हैं या तो फेल हो जाते हैं। फिर इस का परिणाम ड्राप आउट की शकल में सामने आता है।

बच्चों को क्लास में लगातार हाज़िर रहने के लिये ज़रूरी है कि उसको सिस्टम का पाबन्द बनाया जाए और स्कूल की तरफ से जो काम दिया जाता है उस पर नज़र रखी जाए कि क्या बच्चा स्कूल के होम वर्क को रोज़ाना पूरा करता है कि नहीं, इसका पाबन्द बनाने के लिये सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि मां बाप वक़्त निकाल कर होम वर्क कराने के लिये बच्चों के साथ खुद बैठें इस काम को केवल टियूशन पढ़ाने वाले टीचरों पर न छोड़ा जाए। स्वयं भी बच्चों के होमवर्क पर रखना ज़रूरी है। इसी तरह यह भी ज़रूरी है कि बच्चे के टियूशन के काम पर भी नज़र रखी जाए।

> यह हकीकत है कि कुछ मां बाप विजनेस या अपने दूसरे कामों में इतना व्यस्त होते हैं कि उनके लिये बच्चों की पढ़ाई के वक़्त साथ रहना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि जिस तरह दूसरे काम के लिये समय निकाला जाता है उसी तरह बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये समय निकालना चाहिए।

यह हकीकत है कि कुछ मां बाप विजनेस या अपने दूसरे कामों में इतना व्यस्त होते हैं कि उनके लिये बच्चों की पढ़ाई के वक़्त साथ रहना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि जिस तरह दूसरे काम के लिये समय निकाला जाता है उसी तरह बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये समय निकालना चाहिए।

स्मार्ट फोन ने आज अधिकतर लोगों को बिला वजह व्यस्त कर दिया है, या लोगों ने स्वयं ही अपने आप को स्मार्ट फोन में व्यस्त कर लिया है दिन के खाली समय में लोग स्मार्ट फोन पर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो खाली वक़्त को बच्चों के साथ गुज़ारने के बजाए स्मार्ट फोन की चकाचौंध में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनका पूरा वक़्त ऐसे ही खत्म हो जाता है, हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे लिये शिक्षा ज़्यादा अहमियत रखता है या सोशल मीडिया? जिस दिन बच्चों के शैक्षणिक भविष्य का एहसास हो जाएगा उस दिन दूसरे काम की अहमियत कम और शिक्षा की अहमियत बढ़ जाएगी, इस पहलू से हम सभी अभिभावकों को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा वर्ना हमारी तालीमी हालत में सुधार नहीं आएगी जब कि तालीम इस वक़्त हमारे लिये सबसे बड़ी ज़रूरत और अहम है।

❑ ❑ ❑

कुर्बानी के अहकाम व मसाइल

कुरबानी का मक़सद केवल गोश्त खाना नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मक़सद यह है कि कुर्बानी करने वाला यह स्वीकार करे कि हम आज जिस तरह इस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं वह केवल एक नमूना है अगर ज़रूरत पड़ी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं और नेकी की प्रेरणा और बुराई को रोकनें में हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं और देश व समाज और मानवता के विकास एवं उत्थान के लिये हमेशा तत्पर हैं।

हज़रत अली रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि कुर्बानी के चार दिन हैं एक ईदुल अज़हा का दिन (अर्थात १० जिलहिज्जा) और तीन दिन इसके बाद (नैलु अवतार भाग-५ पृष्ठ-१३५)

हज़रत अली, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रजिअल्लाहो अन्हुम, हज़रत अता, हज़रत हसन बसरी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत सुलैमान बिन मूसा, इमाम अबू दाऊद, अन्य सहाब-ए-किराम, प्रतिष्ठित ताबईन, तबअ् ताबईन, और मुहद्दिसीन का भी यह मसलक है कि १० जिलहिज्जा के बाद तीन दिन और कुर्बानी करना जायज़ और दुरूस्त है। (मुस्लिम भाग-२, पृष्ठ १५२)

जुल हिज्जा के दस दिन का अर्थः- जुलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और हुर्मत वाले चार महीनों में से एक, जुलहिज्जा महीने के दस्वें दिन ईदुल अजहा का पहला दिन होता है इन दस दिनों का बयान कुर्आन में विशेष तौर से हुआ है (सूरे हज)

इन दस दिनों की अहमियत इस से भी स्पष्ट होती है कि अल्लाह ने इन दिनों की सौगन्ध (क़सम) खाई है। (सूरे फज्र)

इन दस दिनों के आमाल का मुकाबला इन्हीं जैसे आमाल से होगा, मतलब यह है कि इन दिनों की नफली इबादत दूसरे दिनों की नफली इबादत से अफजल है। इन दिनों की फर्ज इबादत दूसरे दिनों की फर्ज इबादत से अफज़ल है। यह मतलब भी नहीं है कि इन दिनों की नफली इबादत आम दिनों की फर्ज इबादत से भी अफज़ल है। (पांच अहम दीनी मसायल)

जुल हिज्जा के दस दिनों में से एक दिन ६ जुलहिज्जा ऐसा है कि अल्लाह तआला ने इस में दीने इस्लाम के मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई थी। (सहीह़ बुखारी)

६ जुल हिज्जा के दिन अल्लाह तआला साल के बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है (सहीह़ मुस्लिम)

जुलहिज्जा का दस्वां दिन सब दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल है। (अबू दाऊद)

इन फजीलतों का कारण यह है कि इन दिनों में तमाम बुनियादी इबादतें जमा होती हैं। यानी नमाज, रोज़ा, हज सदका इन दिनों के अलावा और किसी दिन यह इबादतें जमा नहीं होतीं। (फतहुलबारी)

इन दिनों में लगन से इबादत करनी चाहिये। (सुनन दारमी)

खास तौर से अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम तारीफ अल्लाह के लिये है का विर्द ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। (मुस्नद अहमद)

कुछ सहाबा रज़िअल्लाहु तआला अन्हुम इन दिनों में तकबीरात कहते थे यहां तक कि बाज़ार में भी इन का विर्द करते और इनकी तकबीरात को सुन कर दूसरे लोग भी तकबीरात शुरू कर देते थे। (सहीह बुखारी)

९ जुलहिजा का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। (सहीह मुस्लिम)

हज करने वाले के लिये मुस्तहब है कि ९ जुलहिज्जा के दिन रोजा न रखे। (तोहफतुल अहवज़ी)

जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है वह इन दस दिनों में कुर्बानी करने तक अपने जिस्म के बाल और नाखुन आदि नहीं काट सकता। (सह़ीह़ मुस्लिम)

कुर्बानी का शाब्दिक अर्थः- कुर्बानी अर्बी जुबान के शब्द कुर्बान की बदली हुई शक्ल है और शाब्दिक पहलू से इस का अर्थ हर वह चीज है जिससे अल्लाह का तकर्रुब (निकटता) हासिल किया जाये, चाहे जबीहा हो या कुछ और। (अलमोजमुलवसीत)

कुछ ओलमा के नजदीक कुर्बानी का शब्द कुर्ब से बना है चूंकि इसके माध्यम से अल्लाह की नजदीकी हासिल की जाती है इस लिये इसे कुर्बानी कहा जाता है।

परिभाषिक अर्थः- कुर्बानी का अर्थ ऊंट भेड़ और बकरियों में से कोई जानवर ईदुल अज़्हा के दिन और तश्रीक के दिनों ११,१२,१३ जुलहिज्जा में अल्लाह तआला का कुर्ब (निकटता) हासिल करने के लिये जबह करना है।

कुर्बानी का हुक्मः- जुम्हूर के नजदीक कुर्बानी सुननते मुअक्कदः है। लेकिन अल्लामा शौकानी र-ह-म-हुल्लाह ने अपनी किताब अस्सैलुल जर्रार में दलायल (तर्क) लिखने के बाद लिखा है कि कुर्बानी वाजिब साबित होती है लेकिन यह वुजूब ताकत रखने वालों के लिये है जिसके पास माली ताकत नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। (मिर्आतुलमफातीह)

कुर्बानी के शरायतः-१. खालिस अल्लाह की रिज़ा के लिये हो। (सूरे बय्यना, सूरे माइदह)

२. पाकीज़ा माल से हो हराम माल से न हो। (सहीह मुस्लिम) ३. सुन्नत के अनुसार हो। अगर कोई ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि उसने सुन्नत की मुखालिफत की है। (सहीह बुखारी) ४. कुर्बानी का जानवर उन खामियों और कमियों से पाक हो जिन की बुनियाद पर शरीअत ने कुर्बानी करने से रोका है। दो दांता होना जरूरी है, अगर ऐसा जानवर मिलना मुश्किल हो या कोई दूसरी मजबूरी हो तो भेड़ का खेरा एक साल का कुर्बानी करना सहीह है। (मुस्लिम)

किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं

१. वाजेह तौर से काना हो। २. ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो। ३. ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। ४. ऐसा कमज़ोर जानवर जिसमें चर्बी न हो। ५. कान में सूराख हो। (अबू दाऊद)

मसायलः-

- ❑ खसी जानवर की कुर्बानी जायज है। (सहीह इब्ने माजा)
- ❑ हामिला (जिसके पेट में बच्चा हो) जानवर की कुर्बानी भी जायज है। (सहीह अबू दाऊद)
- ❑ हामिला जानवर का जबह करना ही पेट के बच्चे के लिये काफी है दिल चाहे तो उसे भी खाया जा सकता है,जबह करने की जरूरत नहीं।(सहीह अबू दाऊद)
- ❑ कुर्बानी के जानवर को

खिला पिला कर मोटा ताजा करना चाहिये। (सह़ीह़ बुखारी)

❑ ईद के पहले दिन कुर्बानी करना अफज़ल है क्योंकि यह दिन सब दिनों से अफजल है। (सहीह अबू दाऊद)

❑ कुर्बानी के चार दिन हैं, १३ जुल हिज्जह को सूरज डूब जाने तक कुर्बानी की जा सकती है। (सहीह अल जामिउस्सगीर)

❑ कुर्बानी के चार दिनों की रातों में भी कुर्बानी की जा सकती है।

❑ कुर्बानी करने का वक़्त ईदुलअज़हा की नमाज पढ़ने के बाद शुरू होता है। (बुखारी)

❑ कुर्बानी के जानवर पर सवार होना जायज है। (बुखारी)

❑ जिस जानवर को कुर्बानी की निय्यत से खरीद लिया जाये उसे बेचना अवैध है (अस्सैलुल जर्रार अल्लामा शौकानी)

❑ जानवर कुर्बानी करने के बजाये उसकी कीमत का सदक़ा करना दुरूस्त नहीं है।(मिर्आतुल मफातीह)

❑ अगर कोई आदमी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ही जनावर जबह कर दे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी बल्कि उसे ईद की नमाज के बाद एक दूसरा जानवर जबह करना पड़ेगा। (सहीह बुखारी)

❑ ईदगाह में कुर्बानी करना सुन्नत है। (बुखारी)

घर में या किसी दूसरी जगह अगर कुर्बानी कर ली जाये तो दुरूस्त है क्योंकि ईदगाह में कुर्बानी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार नहीं दिया है और न सब लोग ऐसा कर ही सकते हैं।

❑ छुरी खूब तेज होनी चाहिये। (सहीह मुस्लिम)

❑ जानवर को किब्ला की तरफ करके जबह करना मुस्तहब है। (मौकूफ इब्ने उमर)

❑ कुर्बानी वाले जानवर के पहलू पर जबह के वक़्त पांव रखना मसनून है। (बुख़ारी)

❑ बिसमिल्लाह वल्लाहु अक्बर पढ़कर जानवर को नह्र या जबह किया जायेगा (बुख़ारी)

❑ दांत और नाखुन को छोड़कर हर ज़बह कर देने वाली चीज से जानवर जबह किया जा सकता है। (बुखारी)

❑ मालिक का अपने हाथ से जानवर जबह करना अफजल है (बुखारी)

❑ लेकिन दूसरे से भी जबह करवाया जा सकता है। (बुखारी, अबू दाऊद)

❑ औरत भी जानवर जबह कर सकती है।(बुखारी)

❑ अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर जबह करने वाला लानती है। (सहीह मुस्लिम)

❑ पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर ही किफायत कर जायेगा (सहीह तिर्मिजी)

कुर्बानी करते वक़्त तकबीर के साथ साथ ''अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी अव मिन फुलां'' ऐ अल्लाह मेरी तरफ से या फुलां की तरफ से कुबूल फरमा कहना भी दुरूस्त है। (मुस्लिम)

❑ कसाई को खाल या गोश्त मजदूरी के तौर पर देना मना है। (मुस्लिम)

कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों पर सदक़ा किया जा सकता है और खुद भी खाया जा सकता है। (सूरे हज)

❑ गोश्त को बराबर तीन हिस्सों में बांटना जरूरी नहीं है क्योंकि शरीअत ने इसकी पाबंदी नहीं लगाई बलकि इसके विपरीत नबी स० ने जी भर खाने की इजाजत दी है। (सहीह तिर्मिज़ी)

❑ लेकिन यह जहन में रहे कि इस हदीस में जहां खाने का

बयान है वहां खिलाने का भी जिक्र है। इस लिये इतना ना खाया जाये कि हदीस के अगले हुक्म ''खिलाओ'' पर अमल न हो सके।

❑ अगर कोई गोश्त का कुछ हिस्सा जखीरा (जमा) करना चाहे तो शरई (इस्लामी क़ानून के) एतबार से इसकी इजाजत है। (बुखारी)

❑ गैर मुस्लिम अगर मुस्तहिक (पात्र) है तो उसे भी गोश्त दिया जा सकता है। (अलमुगनी इब्ने कुदामा)

❑ कुर्बानी की खाल का मसरफ (खर्च करने की जगह) वही है जो गोश्त का है। (बुखारी)

❑ कर्जदार आदमी कुर्बानी कर सकता है क्योंकि ऐसी कोई दलील नहीं जो उसे कुर्बानी करने से रोकती हो। (पांच अहम दीनी मसायल)

❑ हज के लिये जो ऊंट खरीदा गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सात अफराद शरीक हो सकते हैं। (मुस्लिम)

कुर्बानी करने वाले अफराद जुलहिज्जा का चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी करने तक बाल और नाखुन नहीं काट सकते। (मुस्लिम)

''कुर्बानी एक प्रकार की उपासना है जो अल्लाह के लिये की जाती है। सबसे पहले इसका प्रयोग आदम के दो बेटों ने किया था जिसकी ओर कुरआन संकेत करता है।

''और इन्हें आदम के बेटों का हाल हक़ के साथ सुना दो जबकि दोनों ने कुर्बानी की, तो उनमें से एक की कुर्बानी कुबूल हुई, दूसरे की कुबूल नहीं हुई।'' (सूरे न० ५ अलमाइदा-आयत न० २७)

''इस्लाम धर्म से पहले कुर्बानी के जानवर को आग में जलाने की रीति थी लेकिन इस्लाम ने कुर्बानी के जानवर को आग में जलाने की रीति को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया'' ।(कुरआन की इन्साइक्लोपीडिया पृष्ठ २१३ लेखक प्रोफेसर डा० मुहम्मद ज़िया उर्रहमान आज़मी)

''खुशी और हर्ष व उल्लास मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसी जिन्दगी को जो खुशी और हर्ष व उल्लास से खाली हो वह अजीरन है। यही वजह है कि दुनिया के अन्दर जितनी भी क़ौमें और मिल्लतें (समुदाय) पाये जाते हैं सभों के यहाँ रंज व ग़म और दुख व तकलीफ से आज़ाद होकर खुशियाँ मनाने के चन्द विशेष दिन होते हैं जिनके आने पर वह अपनी खुशी का इज़हार करते हैं जिन्हें ईद या त्यौहार या पर्व कहा जाता है। चूंकि इस्लाम इन्सानी फितरत के अनुकूल एक विश्वव्यापी धर्म है इसलिये उसने भी शुरू ही से इन्सानी फितरत (स्वभाव) का ख्याल किया है और अपने मानने वालों को एक साप्ताहिक ईद जुमा की शक्ल में और दो वार्षिक ईद ईदुल फित्र और ईदे कुरबां की शक्ल में दिया है।'' (ईदे कुरबां के अहकाम व मसाइल, एक तहकीकी जायज़ा'')

इस्लाम ने खुशी मनाने का एक सिद्धांत तय किया है। आम तौर पर लोग खुशी के मौके पर इस तय शुदा सिद्धांतों को भूल जाते हैं और उनसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो लोगों के हानि और दुख पहुंचने का सबब बन जाता है। इस्लाम ने खुशी मनाने का जो उसूल तय किया है उसी के अनुसार खुशी मनानी चाहिए ताकि ईद (खुशी) हमारे लिये संसार के पालनहार की सामीप्ता प्राप्त करने का माध्यम बन सके और यह केवल खुशी ही तक सीमित न होकर अल्लाह की उपासना का भी माध्यम बन जाए हमें इसी पहलू से ईद मनानी चाहिए कि इससे हमारा पालनहार भी खुश हो जाए और हम ईद के माध्यम से लोगों की मदद भी कर सकें।

(जरीदा तर्जुमान व अन्य किताबों से संकलित)

अनाथ

प्रोफेसर डा० ज़ियाउर्रहमान आज़मी

अनाथ उस बालक को कहा जाता है जिसके पिता का देहांत हो गया हो। अनाथों का बहुत सी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं का इस्लाम ने बहुत ही उत्तम तरीके से समाधान किया है।

अनाथ की दो ही दशाएं होंगी

पहली दशाः जिसके पिता का देहान्त हो गया हो और वह अपने पीछे बहुत सारा धन छोड़ गया हो। ऐसी दशा में उसके धन की देख-भाल करने के लिए किसी को नियुक्त किया जाएगा। उसपर अनिवार्य होगा कि वह अनाथ के धन को बढ़ाने का प्रयत्न करे और इस देख-भाल के बदले उसके लिए जो उचित राशि या धन निर्धारित किया जाए उससे अधिक न ले।

''अनाथ के धन के निकट भी न जाओ परन्तु उचित ढंग से, यहाँ तक कि वह युवावस्था को पहुंच जाए''। कुरआन सूरा-६, अल अनआम, आयत-१५२ तथा सूरा-१७, बनी इसराईल, आयत-३४)

अर्थात जब तक वह अनाथ युवावस्था को नहीं पहुँच जाता, उस समय तक उसके धन की देख भाल करो। उस पूंजी को उचित स्थान पर लगाओ, ताकि उसमें लाभ हो। अनाथ के धन को अपने धन के साथ मिला कर भी व्यापार किया जा सकता है।

जिसको अनाथ का संरक्षक बनाया गया हो उसपर अनिवार्य है कि अनाथ की भलाई के बारे में हर समय सोचता रहे। अगर वह समझता है कि अनाथ के धन को अलग व्यापार में लगाने से उत्तम यह है कि अपने व्यापार में सम्मिलित कर ले तो ऐसा कना निषिद्ध नहीं है।

''वे तुमसे अनाथों के बारे में पूछते हैं। कहो कि जिसमें उनका हित हो वही उत्तम है। और यदि तुम उन्हें अपने साथ मिला लो तो वे तुम्हारे भाई हैं। और अल्लाह बिगाड़ चाहने वालों को हित चाहने वालों से अलग पहचानता है। और अल्लाह चाहता तो तुम्हें कठिनाई में डाल देता। निस्सन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।'' (कुरआन, सूरा-२, अल-बकरा, आयत-२२०)

यहां अपने साथ मिलाने का अर्थ उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर व्यापार करना है, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका उद्देश्य अनाथ के माल में बढ़ौतरी हो न कि हानि। इसी लिए कहा गया कि अल्लाह बिगाड़ चाहने वालों से हित चाहने वालों को अलग पहचानता है। संरक्षक अगर धनवान है तो उसको चाहिए कि अनाथ के माल से कुछ न ले, और अगर वह स्वयं निर्धन है तो उचित ढंग से नियमानुसार कुछ ले ले।

''और अनाथों को जाँचते रहो, यहाँ तक कि जब वे विवाह की अवस्था को पहुंच जाएं तो फिर यदि तुम उनमें देखो कि सूझ-बूझ आ गई है तो उन्हें उनका धन वापस कर दो। और इस भय से कि बड़े हो जाएंगे, उनके माल को ज़रूरत से अधिक और जल्दी-जल्दी न खा जाओ। और जो धनवान है उसे चाहिए कि उनके माल से बचे, और जो निर्धन है वह उचित ढंग से नियमानुसार खा ले। फिर जब उनका

माल उनको सौंपो तो साक्षी बना लो, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है''। (क़ुरआन, सूरा-४, अन-निसा,आयतें-५,६)

अर्थात् अनाथों के धन को छल-कपट के साथ खाने वालों का अल्लाह कड़ा हिसाब लेगा। इसी लिए कहा गया है कि उनके धन के निकट भी न जाओ। और अनाथों के धन को खा जाने वालों के लिए अल्लाह की ओर से कठिन यातना है।

''जो लोग अनर्थ अत्याचार से अनाथों का धन खाते हैं वेअपने पेट में आग भरते हैं, और वे नरक में जाएंगे''। (क़ुरआन, सूरा-४, अन-निसा,आयत-१०)

और जब अनाथ युवावस्था को पहुंच जाए तो उसका धन उसके हवाले कर दिया जाए और उसमें किसी प्रकार का हेर-फेर न किया जाए।

''अनाथों को उनका धन दे दो, और बुरी चीज़ को (जो तुम्हारी हो) अच्छी चीज़ (जो उनकी हो) से न बदलो। और उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर न खाओ। निस्सन्देह यह महापाप है''। (क़ुरआन, सूरा-४, अन-निसा, आयत-२)

अनाथ लड़कियों से विवाह

अनाथ लड़कियों से विवाह किया जा सकता है। बल्कि कई अवस्थाओं में तो उनसे विवाह करना उचित है। परन्तु इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ न्याय किया जा सकता है या नहीं अगर यह भय हो कि न्याय नहीं किया जा सकेगा तो उनसे कदापि विवाह न करना चाहिए। होता यह है कि कुछ लोग यह सोचकर कि यह अनाथ कन्या है, उससे विवाह कर लेते हैं। परन्तु उसके साथ न्याय नहीं करते, उसके अनाथ होने का लाभ उठाते हैं, या उसके धन के लालच में विवाह कर लेते हैं। ऐसे लोगों से कहा गया है।

''यदि तुम्हें आशंका हो कि अनाथ लड़कियों से विवाह करके तुम न्याय न कर सकोगे तो दूसरी स्त्रियों में से जो तुम्हें अच्छी लगें उनसे विवाह कर लो''। (क़ुरआन, सूरा-४, अन-निसा, आयत-३)

अनाथ की दूसरी दशाः दूसरी दशा के अन्तर्गत ऐसे अनाथ आते हैं, जिनके पिता ने जीविका के लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो ऐसे अनाथ बच्चों की देख-भाल करने का दायित्व पूरे समाज पर आता है। पवित्र क़ुरआन में इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं। एक बार सहाबा ने नबी स० से पूछा, हम फालतू माल कहां ख़र्च करें? इस पर यह आयत उतरी।

''वे पूछते हैं कि (फ़ालतू धन) किस प्रकार ख़र्च करें? कह दो कि जो माल भी तुम ख़र्च करो तो माता-पिता, अनाथों, निर्धनों तथा मुसाफ़िरों पर ख़र्च करो। और जो भलाई तुम करते हो अल्लाह उसे भली-भाँति जानता है''। (सूरा-२, अल-बकरा, आयत-२१५)

सदाचारी लोगों के जो विशेष गुण बताए गए हैं,उनमें से एक यह है।

''वे मोहताज, अनाथ और क़ैदी को खाना उसकी चाहत रखते हुए खिलाते हैं''। (क़ुरआन, सूरा-७६, अद्-दह्र, आयत-८)

मक्का के उन इस्लाम-विरोधियों की निन्दा की गई है, जो क़ियामत के दिन को झुठलाते और अनाथों को धक्के देते हैं।

''यह वही है जो अनाथ को धक्के देता है। और निर्धन को खाना खिलाने का प्रलोभ नहीं देता''। (क़ुरआन, सूरा-१०७, अल माऊन, आयतें २-३)

नबी स० स्वयं अनाथ थे, परन्तु अल्लाह ने आप पर दया की। इसलिए आप स० को हुक्म दिया जा रहा है कि आप अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार करें।

''तो जो अनाथ है उस पर कठोरता न करना और मांगने वाले को न झिड़कना'' (कुरआन, सूरा-३६, अज़्-ज़ुहा, आयतें-६,१०)

इसलिए नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अनाथों और मांगने वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और हर समय कोई न कोई अनाथ आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के घर में पलता रहता था। जहाँ तक माँगने वालों का मामला है तो अनस आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सेवक, का कथन है कि आप ने किसी मांगने वाले को कभी देने से मना नहीं किया। इसी प्रकार आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अनाथों की सेवा करने वाले को शुभ सूचना भी दी।

''मैं और अनाथ को पालने वाला जन्नत में इस प्रकार होंगे और यह कहते हुए आपने अपनी दो उंगलियों की ओर संकेत किया''। (सहीह बुखारी ६००५)

एक दूसरी हदीस में आया है।

''अनाथ की देख भाल करने वाला, चाहे वह उसका करीबी हो या किसी और का, वह और मैं जन्नत में इस प्रकार होंगे और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों की ओर संकेत किया''। (सहीह मुस्लिम २६८३)

अर्थात वह अनाथ उसके परिवार का हो या किसी और परिवार का, उसका पालना पुण्य कर्मों में से एक एक हदीस में आता है कि एक व्यक्ति ने अपने कठोर दिल होने की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''अनाथ के सर पर हाथ फेरो, और निर्धन को भोजन कराओ''। (मुस्नद अहमद ७५७६)

अर्थात किसी अनाथ को पाल लो। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि अनाथ की मां से विवाह कर लो, ताकि वह अनाथ तुम्हारे साए में पल बढ़ सके। इससे तुम्हारा दिल नर्म पड़ जाएगा और उसकी कठोरता समाप्त हो जाएगी।

इस प्रकार इस्लाम ने अनाथ की समस्या के साथ, विधवा-समस्या का भी उत्तम हल पेश किया है।

अगर कोई यह सब न कर सके तो अनाथायलय में पलने वाले बच्चों की सहायता करे। परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि पहले प्रबंधा-समिति के लोगों की अच्छी तरह से जांच कर ले और जब यह विश्वास हो जाए कि उनका उददेश्य अनाथों की सेवा है, व्यापार करना नहीं तो उनकी सहायता की जाए और यह भी एक प्रकार से अनाथ का पालन-पोषण करने के समान है।

❑ ❑ ❑

इसलिए नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अनाथों और मांगने वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और हर समय कोई न कोई अनाथ आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के घर में पलता रहता था। जहाँ तक माँगने वालों का मामला है तो अनस आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सेवक, का कथन है कि आप ने किसी मांगने वाले को कभी देने से मना नहीं किया। इसी प्रकार आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अनाथों की सेवा करने वाले को शुभ सूचना भी दी।

''मैं और अनाथ को पालने वाला जन्नत में इस प्रकार होंगे और यह कहते हुए आपने अपनी दो उंगलियों की ओर संकेत किया''। (सहीह बुखारी ६००५)

जमाअती ख़बर

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की सरपरस्ती और जिलई जमीअत अहले हदीस मेरठ के द्वारा मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अध्यक्षता में १८ जून २०१६ मंगलवार को मेला नौचन्दी पटेल मण्डप मेरठ में भव्य कानफ्रेन्स आयोजित हुई। जिसमें मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने शिर्कत की। इस कांफ्रेन्स की शुरूआत मदर्सा दारूल हदीस मतूलउल उलूम के अध्यापक क़ारी हमीदुल्लाह की तिलावत से हुई। इस अवसर पर इक़रा गर्ल्स इन्टरनेशनल के निदेशक मौलाना अज़हर मदनी ने पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जीवन के विभिन्न पहलुओं खास तौर से अम्न व मुहब्बत और पैगम्बर मुहम्मद की इन्सानियत नवाज़ी पर रोशनी डाली। इस कांफ्रेन्स में हाफिज सलीम मेरठी, मौलाना मुहम्मद रहमानी, मौलाना मुहम्मद सुलैमान मेरठी और महमाने खुसूसी मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने खिताब किया। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने अपने सदारती ख़िताब में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के देश समाज और मानवता के लिये उसकी सेवाओं को विस्तार से बयान करते कहा कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द को आतंकवाद के खिलाफ लिखित फतवा देने में प्राथमिकता प्राप्त है। इस अवसर पर उन्होंने आतंकवाद और दाइश की अमानवीय गतिविधियों की कड़ी निन्दा की।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने वाले हाफिज़ व कारी को विश्व प्रतियोगिता के लिये मनोनीत किया गया

जैसा कि पाठकों को मालूम है कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा हर साल आल इंडिया हिफ्ज व तजवीद व तफसीरे कुरआन करीम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिस में देशभर से हर मसलक के हुफ्फाज़ और ओलमा बड़ी तादाद में शरीक होते हैं कुल छः श्रेणियों में पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन लाने वाले सभी क्षात्रों को बहुमूल्य पुरस्कार दिया जाता है और दूसरे क्षात्रों को भी प्रोत्साहित किया जाता है और प्रतियोगिता में मुमताज़ (टापर) को हिफ्ज़ कुरआन करीम विश्व प्रतियोगिता में शिर्कत के लिये मनोनीत किया जाता है। इस साल मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द ने अल मुसाबका अल आलमिया लिल कुरआनिल करीम मक्का मुकर्रमा में शिर्कत के लिये केरल के रहने वाले शहीन बिन मुहम्मद हमजा को मनोनीत किया है जो २८-२६ जुलाई २०१८ को अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला में आयोजित १८वें प्रतियोगिता की प्रथम श्रेणी मुकम्मल हिफज़ व तजवीद व तफसीर कुरआन करीम में पहली पोजीशन हासिल करके प्रथम पुरस्कार के पात्र हुए थे। दुआ है कि अल्लाह शहीन मुहम्मद हमज़ा को सफलता दे और कुरआन करीम का आलिम व ख़ादिम बनाये आमीन।

पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया

इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः रात में अपनी नमाज़ के आखिर में वित्र पढ़ो। (बुखारी-मुस्लिम)

इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः लोगों से भीक मांगने वाला आदमी क्यामत के दिन इस हाल में आये गा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। (बुखारी, मुस्लिम)

इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसकी अस्र की नमाज़ छूट गयी तो गोया कि वह अपने माल और आल औलाद से काट दिया गया। (बुखारी-मुस्लिम)

इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ज़ुल्म क्यामत के दिन अंधेरे का सबब बनेगा। (बुखारी)

इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुसलमान वह है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें और मुहाजिर वह है जो अल्लाह की मना की हुयी चीजों को छोड़ दे। (बुखारी)

इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः हर नशाआवर चीज़ शराब है और हर नशाआवर चीज़ हराम है। (मुस्लिम)

इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकियों में सबसे बड़ी नेकी यह है कि कोई आदमी अपने बाप की मुहब्बत को पा ले। (मुस्लिम)

कुरबानी के मुबारक मौके पर
मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की भरपूर मदद करें

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हर शोबे में सक्रिय है। अल माहदुल आली में बच्चों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण का बेहतरीन प्रबन्ध है। निर्माण-कार्य के प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। तसनीफ व तालीफ में प्रगति हुई है। इन तमाम कामों को पूरा करने में आप का माली सहयोग महत्वपूर्ण और सराहनीय है। तमाम अहले खैर हज़रात से अपील है कि कुर्बानी का चमड़ा जमीअत को देना न भलूं। जहाँ कहीं भी कुर्बानी करें जमीअत को याद रखें। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द को माली एतबार से भी मज़बूत बनाने के लिये ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। चेक और ड्राफ्ट मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के नाम बनावाएं।

A/c Name: MARKAZI JAMIAT AHLE HADEES HIND

A/c 629201058685 ICICI Bank (Chandni Chawk Branch) RTGS/NEFT IFSC Code-ICIC0006292

आपके माली सहयोग का मुनतज़िर

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द 4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006

फोन न० 23273407 फैक्स न० 23246613

देश व समाज में अम्न व शान्ति

सफी अहमद मदनी

अम्न व सुकून अल्लाह की बड़ी नेमत है। अम्न व सुकून हो तो ज़िन्दगी अच्छी लगती है। खाने, पीने और पहनने ओढ़ने हर चीज़ में लुत्फ़ और मज़ा हासिल होता है। अम्न हो तो इन्सान मां बाप, बीवी, बच्चों और दूसरे रिश्तेदारों की ख़िदमत कर सकता है। समाजी ज़िम्मेदारियों को अदा कर सकता है हक़दारों के हुकूक को अदा कर सकता है, इल्म हासिल कर सकता है। अपनी रूह और इन्सानियत को तरक्क़ी दे सकता है। अच्छे समाज को स्थापित करने के लिये प्रयास कर सकता है। दूसरे मजबूर, परेशान हाल और मज़लूमों की मदद में हिस्सा ले सकता है, हंसते मुसकुराते चेहरों को देख कर खुशी होती है दिल सुकून से भर जाता है, अम्न व शान्ति न हो तो ज़िन्दगी अज़ाब बन जाती है, कोई खुशी, खुशी नहीं लगती। लगातार ग़म व चिन्ता की वजह से इन्सान बीमारियों का शिकार हो कर मजबूर व कमज़ोर हो जाता है। इन्सान को ज़िन्दगी बसर करने के लिये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है खाना और अम्न व सुकून। अल्लाह ने इन दोनों नेमतों का वर्णन सूरे कुरैश में किया है। ''उस ज़ात की बन्दगी करें जिसने उन्हें भूक की हालत में खाना दिया और भय के माहौल में अम्न दिया'' अल्लाह ने कुरैश क़बीला पर अपनी दो महत्वपूर्ण नेमतों का वर्णन किया है और इसके बदले में उनसे उपासना की मांग की है। मक्का वासियों को दो विशेष नेमतें दी गई थीं खाना और अम्न। मक्का की जमीन विल्कुल बनजर थी वहां दूर दूर तक किसी तरह की खेती और बागबानी संभव नहीं है इस लिये मक्का वासी अनाज गेहूं और जौ के लिये लम्बा सफर करते थे। सीरिया का सफर करते जो मक्का से लभग एक हज़ार किमी. की दूरी पर है। उस जमाने में जबकि सफर के साधन नहीं थे लम्बा सफर करके गेहूं और जौ हासिल करते और मक्का में अनाज के काफिले उतरते और मक्का वासियों को अच्छी खासी मात्रा में अनाज मिल जाता जबकि आस पास के अरब वासी अधिकतर कहतसाली का शिकार रहते और भूखों मरते थे। इसके अलावा मक्का वासियों के तायफ में बागात थे जहां से खुजूर और अंगूर वगैरह हासिल होते थे तायफ छोटा सा एलाक़ा था जहां बागात थे। मक्का वासियों के लिये खाद्य पदार्थ (ग़िज़ा) अर्थात खाने के सामान उपलब्ध होने से ज़्यादा अम्न व अमान की नेमत थी। पूरे अरब में लड़ाइयों का बाज़ार गरम था। रातों में हमले होते थे और पूरा क़बीला व खानदान तबाह हो जाता था, जान व माल का कोई संरक्षण नहीं था लूट मार आम थी, मालदारों पर डाका डाला जाता और उनको लूट लिया जाता था लेकिन अल्लाह ने मक्का वासियों के लिये अम्न व सुकून का बेहतरीन इन्तेज़ाम किया था खानए काबा का एहतराम अर्बों के दिलों में अच्छी तरह से बैठा हुआ था और कुरैश चूंकि खानए काबा के सेवक एवं संरक्षक थे इसलिये मक्का और मक्का वासियों पर हमला करना बहुत बड़ा पाप माना जाता था अरब के सभी वासी (बाशिन्दे) मक्का का सम्मान करते थे और मक्का वासियों के काफिलों को अम्न के साथ सफर करने की इजाज़त थी। मक्का पर कभी भी हमला नहीं होता था बल्कि सख्त तरीन दुश्मन भी खा-न-ए काबा के पास जाता तो उस पर हमला नहीं किया जाता यहां तक कि वह हरम से निकल निकल जाये। यह दो महत्वपूर्ण नेमतें खाना और अम्न व सुकून जो मक्के के रहने वालों को हासिल थीं, सभी इन्सानों की ज़रूरत

है। दुनिया के सभी शासक और शासन इन दो चीज़ों के लिये प्रयास करते हैं। इस्लाम धर्म में अम्न व शान्ति की बड़ी अहमियत है। इस्लाम सलामती से बना है यानी सबके लिये सलामती का धर्म है। कमज़ोरों, मज़लूमों और वंचितों के लिये अम्न व सलामती (सुरक्षा) देना इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कोई ज़ालिम अपनी ताक़त के बल पर जुल्म नहीं कर सकता बल्कि इन्साफ हर एक के लिये होगा और मज़लूम को उसका हक़ दिलाया जाएगा पहले खलीफ़ा हज़रत अबू बक्र रज़िअल्लाहो तआला अन्हो ने अपनी पालीसी का एलान करते हुए फरमाया कि ''मैं कमज़ोरों के साथ हूं यहां तक कि ताक़तवर से उसका हक़ दिला दूं, मैं मज़लूम के साथ हूं यहाँ तक कि ज़ालिम से इन्तेक़ाम न ले लूं'' यह पालीसी इस्लाम की पालीसी है। इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी अम्न काइम करना, जालिम और अपराधियों को सख़्त सज़ा देना ताकि जुल्म का ज़ोर टूट जाए और समाज का हर व्यक्ति अपने जान व माल, इज्ज़त और आस्था का संरक्षाण प्राप्त कर ले। अल्लाह ने फितना व फसाद को सख़्त नापसन्द किया और फसादियों की कड़ी निन्दा की। कुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमाया ''और जब वह पीठ फेरता है तो मुल्क में बिगाड़ पैदा करने की भरपूर कोशिश करता है ताकि खेती और नस्ल को बर्बाद कर दे और अल्लाह फसाद को पसन्द नहीं करता है'' (सूरे बक़रा-२०५)

फसाद और अशान्ति इन्सान को परेशानियों और कठिनाइयों में लिप्त कर देती है जिस की वजह से वह इन्सानियत के सम्मान से महरूम (वंचित) हो जाता है और जिन्दगी के मक़सद से दूर और मजबूर होकर बहुत बुरी जिन्दगी गुजारता है।

मौलाना मुहम्मद इस्राईल नदवी का इन्तेकाल

मौलाना मुहम्मद इस्राईल नदवी के इन्तेकाल पर मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी और मर्कजी जमीअत के अन्य जिम्मेदारान व कार्यकर्ताओं ने गहरे रंज व गम का इज़हार किया है। और उनकी मौत को दीनी, इल्मी दावती कौमी और जमाअती खसारा करार दिया है।

मौलाना नदवी का इन्तेकाल फज्र की नमाज़ के बद २ जुलाई २०१९ को ८५ साल की उम्र में हुआ। उनका जन्म मई १९३४ को रनयाला खुर्द झांडा मेवात हरयाणा में हुआ था, गांव ही में उनकी बेसिक शिक्षा हुई। जामिया सलफिया शिकरावा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद नदवतुल ओलमा में दाखिला लिया। शिकरावा से फरागत के बाद लगभग २५ साल तक जामिया सलफिया शिकारवाया में शैखुल हदीस रहे। आपने विभिन्न देशों का सफर किया। नमाज़े जनाज़ा और तदफीन पैत्रिक गांव रनयाला झांडा में हुई। पसदमांदगान में चार लड़के और तीन लड़कियां हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत फराये और पसमांदगान को सबरे जमील की क्षमता दे।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जिम्मेदारान एवं कार्यकर्ताओं ने हार्दिक शोक व्यक्त करते हुए मौलाना के बुलन्द दर्जात के लिए दुआ की है।

कुछ वर्ष पूर्व मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द ने उनकी प्रशंसनीय इलमी, दावती सेवओं के एतराफ में एवार्ड भी दिया था।

❑ ❑ ❑

मेरे प्यारे वतन

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी

मेरे हिन्दुस्ताँ, मेरे प्यारे वतन
तू है मेरा चमन, तू है मेरा चमन

मेरे दाता ने ही बस दिया है यह धन
हम सभी हैं यहाँ पर बहुत ही मगन

यह है लुत्फो करम, बख़्शिशे जुल मिनन्
मेरा प्यारा वतन, खुश्बुओं का चमन

रब्बे आलम ने बख़्शा है सब रंग व बू
इसकी गोदी में खेली हैं गंग व जुमन

इस की तहज़ीब व संस्कृति है रंगा रंग
याँ पे चढ़ते हैं परवान हर फ़िक्र व फ़न

ज़र्रा ज़र्रा है उसका मुहब्बत निशाँ
याँ की मिटटी में बस्ते हैं मुश्क व खुतन

याँ हैं सिद्क व वफा के अलमदार हम
हम रहे हैं सदा ज़अ्मे बातिल शिकन

हम तो सहते रहे हर मिहन और फ़ितन
इसकी ख़ातिर ही झेले हैं दार व रसन

मअर्कों में निकलते रहे सर बसर
हर पहर बाँध कर अपने सर से कफ़न

सरहदों की हिफ़ाज़त की ख़ातिर तो ही
हम हमेशा रहे वाँ पे साया फ़गन

यूँ तो देखा है दुनिया के ढेरों चमन
पर वहाँ पे नहीं लगता, कुछ अपना मन

वह अदावत, बग़ावत के फ़नकार हैं
हम है मेह्र व वफ़ा के सफ़ीरे कुहन

याँ पे नफ़रत की खेती जो करते हैं जन
यह तो हर्गिज़ नहीं है यहाँ का चलन

नज़रे बद लग गई अम्न को प्यार को
नफरतों, वह्शतों का न था यह वतन

शहर को कर दिया तू ने अपने तो बन
गर तू बनता नहीं मेरा अपना तो बन

मुल्क फूले फलेगा यह मुम्किन है कम
हो जो पैकार आपस में शैख़ व ब्राहमण

रब की बख़्शिश न पाओगे ऐ जाने मन!
जब तलक न करो पाक तुम अपना मन

हर घड़ी करते रहते हैं असग़र जतन
बहरे तामीर व तहसीने दीनो वतन

इसलाहे समाज
जुलाई 2019 27

Posted On 21-22 Every Month
Posted At NDPSO
“Registered with the Registrar
of Newspapers for India”

JULY 2019
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2017 - 2019

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस कम्पलैक्स और अहले हदीस मंज़िल के दोनों इतिहासिक और महान निमार्ण कार्यो के सिलसिले में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल विभिन्न राज्यों के दौरे पर। इन्शाअल्लाह

जमाअती मित्रों और कौम व मिल्लत के शुभचिंतकों को मालूम है कि अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली और अहले हदीस मंज़िल जामा मस्जिद दिल्ली में दो भव्य तारीखी बिलडिंगों के निमार्ण का काम जारी है। इस सिलसिले में अल हम्दुलिल्लाह अहले हदीस कम्पलैक्स के महान निमार्ण प्रोजेक्ट की दूसरी मंज़िल की ढ़लाई का काम हुआ चाहता है और अहले हदीस मंज़िल में तरमीम और निमार्ण का काम तीसरी मंज़िल तक पहुंच चुका है जो अल्लाह के फज़्ल व तौफीक के बाद मुहसिनीने जामअत व जमीअत की सखावत व दानवीरता की देन है। अधिकृत सहयोग के लिये अहबाबे जमाअत सूबाई जमीअतों से तनसीक़ के बाद मस्जिदों में बाजाबता और मुसलसल एलान फरमायें।

जल्द ही मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल आप की खिदमत में हाज़िर हो रहा है। इस महान और तारीखी खैर के काम में अपना भर पूर हिस्सा और रोल अदा करके पुण्य के पात्र बनें।

नोटः- इस सिलसिले में संबन्धित राज्यों के पदधारियों और जिम्मेदारान को सूचना दे दी गयी है।

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c 629201058685 (ICICI Bank) Chandni Chowk, Delhi-6
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICICOO06292)